PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

**Jind Circle Jind**

*CORRIGENDUM*

In the *Harpana Government Gazette* Part I, dated 17th March, 1987,—*vide* Notification No. 505, dated 23rd March, 1987, at pages 1124-1125, the Hadbast No. 29 of village Gangesar. The Khasra No. may be read as 43/23 in place of Khasra No. 43/25.

The hadbast No. 22 locality/village in English version. The name of village may be read as Bichpari.

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,

Jind Circle, P. W. D. B. & R. Branch,
Jind.

लोक निर्माण विभाग

भवन तथा मार्ग शाखा

जीन्द वृत जीन्द

शुद्धि-पत्र

हरियाणा सरकार के राजपत्र भाग I हिन्दी प्रकाशन दिनांक 17 मार्च, 1987, में अधिसूचना क्रमांक 505, दिनांक 2 मार्च, 1987, पृष्ठ संख्या 1125-1126 गांव बिचपडी, हदबस्त नं० 22, में परिक्षेत्र गांव का नाम दर्ज नहीं है । इसे गांव बिचपड़ी समझा जाये ।

(हस्ताक्षर) . . .,

अधीक्षक अभियन्ता,

जीन्द वृत, लो. नि, वि., भ. मा. शाखा,
जीन्द ।

PUB LIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

JIND CIRCLE, JIND

*CORRIGENDUM*

The 17th September, 1987

In the Haryana Government Gazette, Part I. dated 14th April 1987,—*vide* notification No. 524, dated 26th March, 1987, pages, 1560-1563. In this notification of village Chhatera the correct Hadbast No. may be read as H. B. No. 25 in place of H. B. No. 46.

Similar the Hadbast No. of village Busana may be read as Hadbast No. 46 in place of Hadbast No. 25,

(Sd.) . . .,

Superintending Enginear,
Jind Circle, P.W.D., B.&R. Branch,
Jind.

लोक निर्माण विभाग
भवन तथा मार्ग शाखा,
जीन्द वृत, जीन्द
दिनांक 17 सितम्बर, 1987

शुद्धि-पत्र

हरियाणा सरकार के राज्य पत्र भाग 1 हिन्दी प्रकाशन दिनांक 14 अप्रैल, 1987, में अधिसूचना संख्या 524, दिनांक 26 मार्च, 1987, पृष्ठ संख्या 1560-1563 गांव छतेहरा का हदबस्त नं० 45 के स्थान पर हदबस्त नं० 25 पढ़ा जावे इसी प्रकार गांव बुसाना का हदबस्त नं० 25 के स्थान पर शुद्ध हदबस्त नं० 46 पढ़ा जाये ।

(हस्ताक्षर) . . .,

जीन्द परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग,
भवन तथा मार्ग शाखा
जीन्द ।

श्रम विभाग
आदेश
दिनांक 29 सितम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/कुरु/3-86/38464.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी थानेसर कोपरेटिव मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सोसाईटी लि०, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, के श्रमिक श्री राम कुमार, मकान नं० 1015, हाऊसिंग बोर्ड, कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच का तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सबंन्धित मामला है:—

क्या श्री राम कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/110-87/38470.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इलैक्ट्रोनिक्स लि०, एन० आई० टी०, फरीदाबाद के श्रमिक श्री प्रेम चन्द, पुत्र श्री वाना राम, मकान नं० 2-ई/191, एन० आई० टी०, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच का तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री प्रेम चन्द, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।